R 959-PBR/08

न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /08 निगरानी

1. रामस्वरूप
2. भैरोलाल
3. अतिराम सिंह
4. नारायण सिंह

पुत्रगण श्री दाताराम सिंह

निवासीगण ग्राम माधोगढ़ तह. कैलारस जिला मुरैना म.प्र.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती शारदा देवी वेवा भोगीराम निवासी कस्बा तह. कैलारस जिला मुरैना म.प्र.
2. शिवराज सिंह पुत्र भगवान सिंह पुरानी सब्जी मण्डी कृषि ऑफिस के पास कैलारस जिला मुरैना
3. सुरेश सिंह पुत्र गोकुल सिंह ठाकुर
   निवासी दीनदयाल मार्ग तह. कैलारस जिला मुरैना म.प्र.

——— अनावेदकगण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालयः– अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना के प्र.क. 73/निगरानी/07–08 में पारित ओदश दि. 10–07–08 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

<u>निगरानी के संक्षेप में तथ्यः–</u>

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, विवादित भूमि 166 रकवा 0.21 है., 181 रकवा 0.37 है., 589 मिन–3 रकवा 0.50 है. एवं 835 मिन–1 रकवा 0.42 है. कुल किता

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 959–अध्यक्ष/08 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
12 –1 –18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 73/निगरानी/07–08 में पारित आदेश दिनांक 10.7.08 विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2–प्रकरण का सरांश इस प्रकर है कि तहसील कैलारस के ग्राम माधौगढ में स्थित विवादित भूमि कुल किता चार कुल रकवा 1.50 आरे में से रकवा 1.01 आरे जिसकी अभिलितखत भूमिस्वामिनी गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 शारदा देवी हैं अभिलिखित भूमिस्वामिनी शारद देवी ने विवादित भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा निगरानीकर्ता को विकय की रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर निगरानीकर्तागण ने विवादित भूमि पर नामांतरण कराने बावत आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण कमांक 31/अ–6/2005–06 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेशदिनांक 19.10.06 से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नामांतरण कार्यवाही को इस आधार पर रोक दियाा गया कि विवादित भूति के संबंध में सिविल वाद लंवित है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.06 से परिवेदित होकर निरानीकर्ताण नेनिगरानी	

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मुरैना के समक्ष पेश की जो प्रकरण कमांक 25/निगरानी/06–07 माल पर दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 31.12.07 से निरस्त की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.06 यथावत रखा गया। अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 31.12.07 से दुखी होकर निगरानीकर्ताण ने अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 10.7.08 को स्वीकार किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक –2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर विवादित भूमि पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र के आधार पर विवादित भूमि पर नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया और आवेदन पत्र के साथ विकय पत्र की प्रति संलग्न की थी। विचारण न्यायालय द्वारा 7.7.06 से प्रकरण प्रारंभ हुआ। म0 प्र0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नामांतरण का मूल उददेश्य अधिकार अभिलेख को अद्यतन इसे शुद्व रखना हैं माननीय व्यवाहर न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा उसका पालन राजस्व न्यायालय द्वारा किया जावेगा। मात्र न्यायालय में विचारधीन होने के कारण विकय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय में प्रचलित नामांतरण की कार्यवाही को रोक दिया जाय यह न्याय की मंशा नहीं है। विकय पत्र के आधार

पर प्रचलित नामांतरण की कार्यवाहीं को उसी स्थिति के रोका जा सकता है जबकि माननीय व्यवाहर न्यायालय द्वारा या तो स्थगन आदेश जारी किया गया हो अथवा नामांतरण की कार्यवाही को रोके जाने के संबंध में स्पष्ट आदेश दिया गया हो। इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश विधि प्रावधानों से उचित है। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 73/निगरानी/07–08 में पारित आदेश दिनांक 10.7.08 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता पर ही अग्राह की जाती है।

सदस्य